सर्व शिक्षा अभियान
सब पढ़ें सब बढ़ें
राज्य परियोजना कार्यालय,
उ0प्र0 सभी के लिए शिक्षा परियोजना परिषद्, विद्या भवन, बिशातगंज, लखनऊ -226 007

सेवा में,

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी,

सर्व शिक्षा अभियान,

समस्त जनपद, उ0प्र0।

पत्रांक : रा0प0नि0/ 1143 /2012-13 लखनऊ, दिनांक : 19 जून, 2012

विषय : **वर्ष 2012-13 में संचालित किए जाने वाले प्री-इंटीग्रेशन कैम्प के संबंध में।**

महोदय,

गत वर्षों की भांति वर्ष 2012-13 में भी समेकित शिक्षा के अन्तर्गत आवासीय प्री-इंटीग्रेशन कैम्प का संचालन जनपदों की वार्षिक कार्ययोजना एवं बजट 2012-13 के प्रस्ताव के अनुसार किया जाना है। प्री-इंटीग्रेशन कैम्प 10 माह के आवासीय कैम्प हैं जिसमें लगभग 08 माह का संचालन वित्तीय वर्ष 2012-13 में एवं शेष 02 माह का संचालन अगले वित्तीय वर्ष 2013-14 में किया जाएगा। प्री-इंटीग्रेशन कैम्प का संचालन **15 जुलाई, 2012** से प्रारम्भ किया जाना है। **प्री-इंटीग्रेशन कैम्प हेतु अभी गत वर्ष के बजट के अनुसार ही व्यवस्थाएं की जाएंगी, किसी तरह के संशोधन के संबंध में बाद में अवगत कराया जाएगा। कैम्प हेतु धनराशि शीघ्र अवमुक्त की जाएगी।**

प्री-इंटीग्रेशन कैम्प के संचालन हेतु कार्यवाही तत्काल प्रारम्भ की जानी है जिनके मुख्य बिन्दु निम्नवत् हैं-

- दिशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों का चयन एवं अभिभावकों की लिखित सहमति।
- कैम्प हेतु भवन की व्यवस्था।
- वार्डेन, स्पेशल टीचर्स एवं केयर टेकर्स के चयन हेतु विज्ञापन एवं चयन की कार्यवाही।
- जिन मदों में टेण्डर की आवश्यकता है, के टेण्डर की कार्यवाही।
- कैम्प हेतु ब्रेल पाठ्य पुस्तकों की व्यवस्था।

प्री-इंटीग्रेशन कैम्प के संचालन हेतु निर्देश निम्नवत् है -

❖ **कैम्प स्थल** - बेसिक शिक्षा अधिकारी प्री-इंटीग्रेशन कैम्प हेतु प्रस्तावित स्थल का चयन स्वयं देखकर करेंगें। प्री-इंटीग्रेशन कैम्प हेतु प्रस्तावित स्थल यथासंभव जिला मुख्यालय पर हो ताकि आधारभूत सुविधाएं सुगमता से उपलब्ध हो सकें तथा नियमित पर्यवेक्षण किया जा सके और समय-समय पर आने वाली कठिनाइयों का निराकरण किया जा सके। कैम्प हेतु सरकारी अथवा किराये का भवन लिया जाए जिसमें समुचित आकार के कम से कम 06 कमरे, 05 शौचालय अवश्य हों। सरकारी भवन लेने की दशा में भवन की मरम्मत, रंगाई-पुताई, इलेक्ट्रिफिकेशन एवं आवश्यकतानुसार शौचालय बाथरूम निर्माण और परिसर सुरक्षा हेतु व्यय आवास / किराया मद से किया जा सकता है भवन में हैण्डपम्प अथवा पानी, बिजली की पर्याप्त व्यवस्था हो और बच्चों के खेलने के लिए स्थान हो। किराये के भवन की दशा में अधिकतम किराया रू0 15000/- प्रतिमाह की सीमा तक ही अनुमन्य होगा जिसमें सम्पूर्ण आवश्यक सुविधाएं / व्यवस्थाएं अनिवार्यतः हों।

दूरभाष : 2780995, 2781316 फैक्स : 0522-2781123, 2780998, 2781316 ई-मेल : spdup@rediffmail.com; upefa@upefa.com; upefaspo@gmail.com

❖ **लक्ष्य** –कुल विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चे - **60**

वी0आई0 - 24 (ब्लाइंड एवं लो विज़न बच्चे)

एच0आई0 - 36

❖ **आयु वर्ग** - 6-14 वय वर्ग

❖ **कैम्प हेतु बच्चों का चयन** - बच्चों का चयन निम्नप्रकार किया जाए -

1. आउट आफ स्कूल CWSN (कैम्प के कुल बच्चों की संख्या का कम से कम 60 प्रतिशत)
2. स्कूल में पढ़ने वाले ऐसे CWSN जिनको इटीनरेंट / रिसोर्स टीचर्स द्वारा सपोर्ट नहीं दिया जा रहा है।

गत वर्षों में संचालित प्री-इंटीग्रेशन कैम्प्स के बच्चों का पंजीयन न किया जाए। जिला समन्वयक (समेकित शिक्षा) गत वर्ष के प्री-इंटीग्रेशन कैम्प के बच्चों का पंजीयन न करने एवं कम से कम 60 प्रतिशत आउट आफ स्कूल CWSN का पंजीयन करने के संबंध में प्रमाण पत्र राज्य परियोजना कार्यालय को उपलब्ध करायेंगे। कैम्प में पंजीकरण हेतु बच्चों के अभिभावकों की लिखित सहमति ली जानी आवश्यक होगी।

❖ **स्टाफ का चयन** -

चयन समिति - वार्डेन, स्पेशल टीचर्स एवं केयर टेकर का चयन जनपद स्तर पर निम्न समिति द्वारा किया जाएगा -

- बेसिक शिक्षा अधिकारी
- जिला समन्वयक (समेकित शिक्षा)
- जिस क्षेत्र में कैम्प प्रस्तावित है उस क्षेत्र का ए0बी0एस0ए0/ नगर शिक्षा अधिकारी।
- जिलाधिकारी द्वारा नामित एक अधिकारी।

वार्डेन एवं स्पेशल टीचर का चयन - कैम्प के लिए 01 वार्डेन एवं 04 स्पेशल टीचर - कुल 05 का चयन किया जाएगा, जिसमें 02 दृष्टि विकलांगता एवं 03 श्रवण विकलांगता के क्षेत्र के विशेषज्ञ होंगे जिनकी शैक्षिक योग्यता निम्नलिखित होगी -

- दृष्टि विकलांगता शिक्षा में कम से कम 01 वर्षीय डिप्लोमा (DSE) अथवा स्पेशल बी0एड0 (वी0आई0) अथवा 02 वर्षीय डी0एड0 (वी0आई0) आर0सी0आई0 द्वारा मान्यता प्राप्त संस्था से। दृष्टि अक्षमता के क्षेत्र के स्पेशल टीचर हेतु ब्रेल पढ़ने एवं लिखने का ज्ञान होना अनिवार्य है।
- श्रवण वाणी विकलांगता शिक्षा में 01 वर्षीय डिप्लोमा (DSE) अथवा स्पेशल बी0एड0 (एच0आई0) अथवा 02 वर्षीय डी0एड0 (एच0आई0) आर0सी0आई0 द्वारा मान्यता प्राप्त संस्था से।
- वार्डेन के लिए आवासीय प्री-इंटीग्रेशन कैम्प / ब्रिज कोर्स / आवासीय स्पेशल स्कूल में कार्य करने का अनुभव अनिवार्य है।
- स्पेशल टीचर्स के चयन के समय विकलांगता के क्षेत्र / प्री-इंटीग्रेशन कैम्प में कार्य का अनुभव रखने वाले अभ्यर्थी को वरीयता दी जाएगी। स्पेशल टीचर हेतु महिलाओं को वरीयता दी जाए क्योंकि कैम्प में बालिकाओं का भी नामांकन होगा।
- वार्डेन एवं स्पेशल टीचर्स के लिए कैम्प की सम्पूर्ण अवधि में बच्चों के साथ रहना अनिवार्य होगा।
- चयन समिति द्वारा चयनित वार्डेन एवं स्पेशल टीचर्स का अनुमोदन जिलाधिकारी से प्राप्त किया जाएगा।

पहले वार्डेन का चयन किया जाएगा। यदि वार्डेन की विशेषज्ञता दृष्टि अक्षमता में है तो 04 स्पेशल टीचर्स में 01 स्पेशल टीचर दृष्टि अक्षमता और 03 स्पेशल टीचर श्रवण अक्षमता के चयनित किए जाएंगे। इसी प्रकार यदि वार्डेन की विशेषज्ञता श्रवण अक्षमता के क्षेत्र की है तो 02 स्पेशल टीचर श्रवण अक्षमता तथा 02 स्पेशल टीचर दृष्टि अक्षमता के चयनित किए जाएंगे।

❖ **केयर टेकर** - 03 केयर टेकर्स (02 महिला केयर टेकर का होना अनिवार्य है) का चयन किया जाएगा जिनके लिए कैम्प की सम्पूर्ण अवधि में बच्चों के साथ रहना अनिवार्य होगा। केयर टेकर साक्षर होना चाहिए और केयर टेकर के लिए ऐसे अभ्यर्थियों को वरीयता दी जाएगी जिन्होंने ब्रिज कोर्स / प्री-इंटीग्रेशन कैम्प/ विकलांगता से संबंधित किसी संस्था में पूर्व में कार्य किया हो। महिला केयर टेकर बालिकाओं के साथ अलग कक्ष में रहेंगी।

❖ **प्रशिक्षण** - वार्डेन एवं स्पेशल टीचर्स के चयन के पश्चात उनको दो दिन का प्रशिक्षण जिला समन्वयक (आई0ई0डी0) एवं रिसोर्स पर्सन के द्वारा दिया जाएगा जिसमें प्री-इंटीग्रेशन कैम्प - अवधारणा, लक्ष्य, विषय वस्तु, समय -सारणी, बच्चों के शैक्षिक स्तर में वृद्धि एवं बच्चों के प्रयोग के लिए आवश्यक टी0एल0एम0 के संबंध में विस्तार से चर्चा की जाएगी। वार्डेन एवं सभी स्पेशल टीचर्स को वी0आई0 एवं एच0आई0 बच्चों के लिए अलग-अलग माहवार विषय सामग्री उपलब्ध कराई जाए। इसके अतिरिक्त स्पेशल टीचर्स के लिए प्रत्येक माह 01 दिन का प्रशिक्षण भी आयोजित किया जाए जिसमें माह में पढ़ाए जाने वाले विषय एवं पाठ के संबंध में आ रही कठिनाइयों पर विस्तार से चर्चा की जाए, सेल प्ले कराया जाए एवं आवश्यक टी0एल0एम0 तैयार कराया जाए। टी0एल0एम0 हेतु आवश्यक व्यय स्टेशनरी मद से किया जाएगा।

❖ **पाठ्यक्रम** -

आउट आफ स्कूल CWSN एवं स्कूल में पढ़ने वाले ऐसे बच्चे जिनको इंटीनरेंट / रिसोर्स टीचर्स द्वारा सपोर्ट नहीं दिया जा रहा है, के लिए प्री-इंटीग्रेशन कैम्प में पहले तीन माह का एक संक्षिप्त ब्रिज पाठ्यक्रम संचालित किया जाएगा ताकि इन बच्चों का उपलब्धि स्तर एक न्यूनतम वांछित स्तर तक हो जाए और तदुपरांत ये कैम्प की निर्धारित कक्षा में अन्य बच्चों के साथ सुगमता से प्रतिभाग कर सकें। ब्रिज पाठ्यक्रम में प्लस कैरीकुलम, डेली लिविंग एक्टिविटीज, उपस्कर एवं उपकरण का प्रयोग, स्पीच थेरेपी, भाषा विकास आदि कराया जाए। इस हेतु वी0आई0 एवं एच0आई0 बच्चों के लिए अलग-अलग माहवार विषय सामग्री संलग्न है।

03 माह के पश्चात बच्चों की प्राप्ति स्तर के आधार पर कक्षा का निर्धारण किया जाएगा एवं शेष 07 माहों में निर्धारित कक्षा की पाठ्य पुस्तकों के आधार पर शिक्षा प्रदान की जाए। दृष्टिहीन बच्चों को ब्रेल पाठ्य पुस्तक उपलब्ध कराई जाए।

- प्रत्येक बच्चे की केस स्टडी एवं आई0ई0पी0 तैयार की जाएगी और आई0ई0पी0 में बच्चों के एजूकेशनल एसेसमेंट का उल्लेख अवश्य किया जाए जिनका अभिलेख अलग-अलग पत्रावलियों में रखा जाएगा। मासिक मूल्यांकन कराया जायेगा जिसका अभिलेख पत्रावली में रखा जायेगा।
- प्री-इंटीग्रेशन कैम्प के बच्चों को यदि किसी विशेष सपोर्ट की आवश्यकता हो और जो कैम्प में उपलब्ध टीचर्स द्वारा न दिया जा सकता हो तो जनपद में समेकित शिक्षा के अन्तर्गत उपलब्ध विशेषज्ञ की ड्यूटी सप्ताह / दिन में एक निश्चित समय के लिए लगाकर उस बच्चे को विशेष सपोर्ट प्रदान किया जाए।
- प्री-इंटीग्रेशन कैम्प के सभी बच्चों को सप्ताह में कम से कम एक बार समीपस्थ प्राथमिक विद्यालय में ले जाकर इंक्लूसिव सेटअप में शिक्षा प्रदान की जाए ताकि मेन स्ट्रीमिंग के पश्चात बच्चे आसानी से विद्यालय में समायोजित हो सकें। इसके लिए रोस्टर बना लिया जाए।
- कैम्प में बच्चों का मूल्यांकन प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में लागू सतत् एवं व्यापक मूल्यांकन पर आधारित सत्रीय परीक्षाओं एवं मुख्य परीक्षाओं के आधार पर किया जाएगा, किन्तु बच्चों के लिए निर्धारित कक्षा की अंतिम परीक्षा प्राथमिक विद्यालय में आयोजित होने वाली अंतिम परीक्षा के आधार पर कराई जाएगी। सभी परीक्षाओं से संबंधित अभिलेख बच्चों की आई0ई0पी0 के साथ संलग्न किए जाएंगे।

- ◆ कैम्प के पश्चात CWSN की जिन विद्यालयों में मेन स्ट्रीमिंग कराई जानी है उस विद्यालय के अध्यापकों को कैम्प में माह में कम से कम एक बार अवश्य बुलाया जाए और उनको बच्चों की प्रगति एवं शिक्षण विधियों से अवगत कराया जाए ताकि अध्यापक मानसिक रूप से इन बच्चों की शिक्षा के लिए तैयार रहें और बच्चों के इंक्लूजन में कोई समस्या न हो।
- ◆ कैम्प के समाप्त होने के पश्चात् इन बच्चों का पंजीयन समीपस्थ प्राथमिक विद्यालयों में कराया जाएगा जिसका बालक/बालिकावार अभिलेख रखा जाएगा और इटीनरेंट टीचर्स की सहायता से इन बच्चों को आवश्यक सपोर्ट उपलब्ध कराया जाएगा। बालिकाओं का पंजीयन यथासंभव कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में कराया जाए और इस हेतु इटीनरेंट टीचर की व्यवस्था की जाए।

❖ **कैम्प हेतु आवश्यक व्यवस्थाएं -**

- ◆ **कैम्प हेतु आवश्यक तैयारियां यथा- भोजन, आवास, वार्डेन, स्पेशल टीचर्स एवं केयर टेकर्स का चयन, टी0एल0एम0,ब्रेल स्लेट, अबेकस, टेलर फ्रेम, ग्रुप हियरिंग एड आदि व्यवस्थाएं पूर्ण करने के पश्चात ही कैम्प प्रारम्भ किया जाए।**
- ◆ **कैम्प हेतु समय से वित्तीय व्यवस्थाएं कराने की जिम्मेदारी बेसिक शिक्षा अधिकारी की होगी।** बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा माह में कम से कम दो बार कैम्प का निरीक्षण कर समस्त पहलुओं को ध्यान में रखकर रिपोर्ट तैयार कर राज्य परियोजना कार्यालय में उपलब्ध कराई जाएगी।
- ◆ गत वर्षो में ब्रिजकोर्स / प्री-इंटीग्रेशन कैम्प में क्रय किए गए स्पीच ट्रेनर्स, ग्रुप हियरिंग एड, ब्रेलर एवं टी0एल0एम0 का प्रयोग प्री-इंटीग्रेशन कैम्प में किया जाएगा।
- ◆ जिला समन्वयक (समेकित शिक्षा) के अवकाश / मुख्यालय से बाहर जाने पर बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा किसी अन्य जिला समन्वयक को प्री-इंटीग्रेशन कैम्प की जिम्मेदारी सौंपी जाए।
- ◆ कैम्प स्थल पर पीने के पानी एवं बिजली की व्यवस्था होनी चाहिए, बिजली की व्यवस्था के साथ ही पैट्रोमेक्स तथा टार्च आदि की व्यवस्था भी की जाए।
- ◆ कैम्प स्थल के पास के पी0एच0सी0 के डाक्टर्स से पूर्व में सम्पर्क कर लिया जाए और 15 दिन के अन्तराल में पी0एच0सी0 के डाक्टर्स से प्री-इंटीग्रेशन कैम्प के बच्चों का नियमित चेकअप कराया जाए। कैम्प के प्रारम्भ में ही बच्चों का मेडिकल एसेसमेंट करा लिया जाए। इस हेतु मुख्य चिकित्सा अधिकारी से सहायता प्राप्त कर ली जाए।
- ◆ बच्चे के बीमार पड़ने पर तुरन्त डाक्टर को दिखाया जाए। सरकारी डाक्टर के उपलब्ध न होने पर प्राइवेट डाक्टर को तत्काल दिखाकर बच्चे का इलाज प्रारम्भ कराया जाए और इलाज में किसी तरह की कमी न की जाए। जिला समन्वयक (समेकित शिक्षा) व्यक्तिगत तौर पर चिकित्सा व्यवस्था की निगरानी कर बेसिक शिक्षा अधिकारी को लगातार अवगत कराते रहें। किसी भी बच्चे की तबियत ज्यादा खराब होने पर तत्काल बच्चे के अभिभावक को बुलाया जाए।
- ◆ प्री-इंटीग्रेशन कैम्प अनिवार्य रूप से आवासीय होगा अतएव कैम्प में पंजीकृत समस्त बालक / बालिकाओं की सुरक्षा का समुचित प्रबन्ध किया जाए। वार्डेन की अनुमति के बिना कैम्प में पंजीकृत बच्चों से कोई भी बाहरी व्यक्ति नहीं मिल सकेगा। बच्चे परिसर के बाहर न जाएं। यदि बच्चों को परिसर के बाहर किसी कार्यक्रम /

गतिविधि में सम्मिलित होने के लिए भेजा जाए तो अनिवार्य रूप से कैम्प के अध्यापक साथ जाएं। कैम्प में बच्चों की उपस्थिति सांयकाल, रात्रि भोजन के समय तथा प्रातः अवश्य चेक की जाए। **बच्चों से अभिभावक के मिलने हेतु केवल रविवार का दिन निश्चित किया जाए। यदि अभिभावक बच्चे को किन्हीं कारणों से घर ले जाना चाहते हैं तो उनसे लिखित आवेदन पत्र प्राप्त करने के उपरांत ही अनुमति दी जाए। बच्चों का आवागमन रजिस्टर बनाया जाए। बच्चों की सुरक्षा व्यवस्था में कोई कोताही कदापि न बरती जाए और इस हेतु वार्डेन तथा कैम्प के अन्य स्पेशल टीचर्स को प्रभारी बनाया जाए।**

- चूंकि प्री-इंटीग्रेशन कैम्प आवासीय रूप में संचालित किया जाएगा, अतः कैम्प में पंजीकृत बच्चों के लिए नाश्ता तथा भोजन की समुचित व्यवस्था की जानी होगी। इस हेतु यह आवश्यक होगा कि सप्ताह के प्रतिदिन का नाश्ता तथा भोजन का मेन्यू अनिवार्य रूप से तैयार किया जाए। भोजन हेतु निर्धारित धनराशि रू0 50/- प्रति बच्चा प्रतिदिन का प्रावधान है **इसलिए भोजन हेतु टेण्डर के मेन्यू में सुबह का नाश्ता, दोपहर भोजन, शाम का नाश्ता एवं रात के भोजन हेतु प्रतिदिन दूध, फल, मिठाई / खीर आदि को शामिल करते हुए मौसम के अनुसार सब्जियों, फल, मिठाई के अलग-अलग नामों का उल्लेख किया जाए।** साप्ताहिक मेन्यू तैयार करते समय यह भी सुनिश्चित किया जाए कि भोजन की गुणवत्ता संतोषजनक हो उसमें आवश्यक प्रोटीन, विटामिन्स एवं कैलोरी का सम्यक समावेश हो। मेन्यू रसोईघर में चस्पा किया जाए। सप्ताह में एक दिन आकस्मिक रूप से भोजन की गुणवत्ता जिला समन्वयक (समेकित शिक्षा) द्वारा तथा माह में एक बार आकस्मिक रूप से जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा चेक की जाए। यह सुनिश्चित किया जाए कि बच्चों को दिया जाने वाला भोजन गुणवत्तायुक्त हो।
- कैम्प में बच्चों के लिए नाश्ता एवं भोजन का मेन्यू निर्धारित करने, मेन्यू का अनुपालन कराने एवं भोजन की गुणवत्ता सुनिश्चित करने हेतु निम्नलिखित अधिकारियों की एक समिति गठित की जाए -
  1. जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
  2. जिला समन्वयक (समेकित शिक्षा)
  3. वार्डेन
  4. निकटस्थ कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय की वार्डेन।
- बच्चों के खान-पान, पठन-पाठन, सफाई, रहन-सहन एवं समस्त प्रबंधन की व्यवस्था हेतु बेसिक शिक्षा अधिकारी की अध्यक्षतः में गठित समिति जिम्मेदार होगी जिसमें जिला समन्वयक (समेकित शिक्षा), 01 अभिभावक, वार्डेन एवं 01 स्पेशल टीचर (कैम्प के लिए चयनित स्पेशल टीचर्स में से बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा नामित) सदस्य होंगे।
- वार्डेन और सभी टीचर्स द्वारा अलग-अलग कक्ष में बच्चों की कक्षाएं लगाई जाएगी तथा टीचर अपनी कक्षा के बच्चों की प्रगति हेतु जिम्मेदार होंगे। **किसी भी दशा में एक कक्ष में दो टीचर उपस्थित नहीं रहेंगें।**
- एक विकलांगता की एक कक्षा के सभी बच्चों को एक ही कक्षा में शिक्षण प्रदान किया जाए।
- वी0आई0 बच्चों के लिए ब्रेल बुक अनिवार्यतः उपलब्ध होनी चाहिए और स्पेशल टीचर (वी0आई0) द्वारा ब्रेल पाठ्य पुस्तकों का प्रयोग शिक्षण में किया जाएगा।
- स्पेशल टीचर (एच0आई0) द्वारा शिक्षण में पाठ्य पुस्तकों का प्रयोग किया जाए। बच्चों को उनके शैक्षिक स्तर के अनुसार निर्धारित कक्षा की पाठ्य पुस्तकें उपलब्ध कराई जाएं।

- बच्चों को दो जोड़ी ड्रेस और एक जोड़ी नाइट ड्रेस, 02 फुल स्वेटर, वूलेन कैप, अण्डरगार्मेंट्स, स्वेटर, चप्पल, जूते, मोजे, स्कूल बैग, तौलिया, साबुन, तेल मंजन आदि उपलब्ध कराए जाएं। यदि उक्त मदों में बचत हो तो आवश्यकतानुसार बच्चों के लिए एक जोड़ी अतिरिक्त ड्रेस एवं उपरोक्त सामग्री अधिक संख्या में क्रय की जा सकती है। उपरोक्त सामग्रियों का क्रय निम्न समिति द्वारा किया जाएगा -

  - जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी - अध्यक्ष
  - सहायक वित्त एवं लेखाधिकारी - सदस्य
  - जिला समन्वयक (समेकित शिक्षा) - सदस्य

  उपरोक्त क्रय समिति टेण्डर से लेकर क्रय एवं भुगतान तक की समस्त कार्यवाही हेतु जिम्मेदार होगी। क्रय समिति के प्रस्ताव पर जिलाधिकारी का अनुमोदन प्राप्त किया जाएगा।

- **सर्दी के समय सभी बेसिक शिक्षा अधिकारी व्यक्तिगत तौर पर यह सुनिश्चित कर लें कि सभी बच्चों के पास पहनने के लिए पर्याप्त गर्म कपड़े (यथा - फुल स्वेटर, इनर, वूलेन कैप, जूते मोजे आदि) एवं बिस्तर रजाई आदि की पर्याप्त व्यवस्था हो।**
- **केयर टेकर / स्पेशल टीचर द्वारा रात में बच्चों के सोने के पूर्व एवं प्रातः 6:30 तक प्रत्येक बच्चे से व्यक्तिगत तौर पर जानकारी प्राप्त कर ली जाए कि उसे किसी तरह की कोई परेशानी तो नहीं है। यदि किसी बच्चे को कोई परेशानी हो अथवा तबियत खराब हो तो रात में बच्चे की देखभाल हेतु किसी केयर टेकर की ड्यूटी लगाई जाए।**
- प्री-इंटीग्रेशन कैम्प के सफल संचालन हेतु अत्यन्त महत्वपूर्ण मदों में प्रथमतः रू0 15000/- की सीमा तक अग्रिम की स्वीकृति के संबंध में राज्य परियोजना निदेशक के पत्रांक 1468 दिनांक 14-12-2005 के अनुसार कार्यवाही की जाए। आवश्यकता पड़ने पर जिला समन्वयक द्वारा अग्रिम के समायोजन बिल प्रस्तुत करने के पश्चात अधिकतम रू0 15000/- की सीमा तक पुनः अग्रिम आहरण किया जा सकता है।
- **बेसिक शिक्षा अधिकारी सुनिश्चित करें कि प्री-इंटीग्रेशन कैम्प में आवश्यकता पड़ने पर जिला समन्वयक (समेकित शिक्षा) / वार्डेन / स्पेशल टीचर द्वारा व्यक्तिगत तौर पर व्यय की गई धनराशि का समय से भुगतान किया जाए।**

कृपया उपरोक्तानुसार कार्यवाही करें एवं निर्धारित तिथि से कैम्प प्रारम्भ कराकर राज्य परियोजना कार्यालय को सूचित करें।

संलग्नकः ब्रिजिंग हेतु 03 माह की विकलांगतावार
एवं माहवार विषय सामग्री।

भवदीय,

(अतुल कुमार)
राज्य परियोजना निदेशक

पृ0सं0: अ0प0नि0/ /12-13 तद्दिनांक।

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित -

1. जिलाधिकारी एवं अध्यक्ष, जिला शिक्षा परियोजना समिति, उपरोक्त जनपद, उ0प्र0।
2. मण्डलीय सहायक शिक्षा निदेशक (बेसिक) उपरोक्त संबंधित मण्डल।

18.6.12
(डी0बी0 शर्मा)
अपर परियोजना निदेशक

दृष्टि विकलांगता : संक्षिप्त ब्रिज पाठ्यक्रम

(अवधि 03 माह)

प्रथम माह

ओरिएण्टेशन एंड मोबिलिटी :-

1. विभिन्न प्रकार की ध्वनियों में अंतर कर सकना।
2. सामान्य दिशाओं का ज्ञान।
3. ध्वनियों की दिशा बता सकना।
4. विभिन्न प्रकार की गंध में अंतर कर सकना
5. स्पर्श की सहायता से जमीन के प्रकार में अंतर कर सकना।
6. साइटेक गाइड की सहायता सेचल सकना।
7. अपने कक्ष में अपने स्थान तक एवं वापस अपने बिस्तर तक स्वयं पहुचना
8. आवासीय परिसर का आरिएण्टेशन मैप एवं उसका प्रयोग कर पाना।

दैनिक किया कलाप :-

1. टाइलेट निपुणता।
2. ब्रशिंग (दांतो की सफाई)
3. नहाना।
4. अपने कपड़े धुलना।
5. कपड़ा पहनना/ उतारना।
6. खाना एवं पीना।
7. शारीरिक स्वच्छता।
8. पैसे संभालना एवं पहचान।
9. खरीदारी।

ब्रेल पढ़ना एव लिखना :-

1. चावल एवं दाल के मिश्रण को अलग-अलग करना।
2. विभिन्न टेक्चर्स के कपड़ो में अंतर करना।
3. बेसिक आकृतियों को पहचानना।
4. मिट्टी की छोटी छोटी गोलिया बनाना।
5. छोटी-छोटी कहानियां सुनाकर उससे संबंधित छोटे छोटे प्रश्नों के उत्तर दे सकना।
6. 1 से लेकर 50 तक की गिनती सुनाना।
7. ब्रेल वर्कशीट का अभ्यास
8. ब्रेल में वर्णमाला पढ़ना लिखना।

सहायक उपकरणों का प्रयोग :-

1. ट्रेलर फेम के पेज्स को ऊपरी एवं निचली सतह को पहचान कर अंतर करना
2. ट्रेलर फेम पर 1 से 20 तक लिखना।
3. ज्यामिति की सहायता से सीधी लाइन खीचना।
4. जोड़ घटाने के चिन्हों का ज्ञान।
5. एक अंक का जोड़ घटाना।

कक्षा का निर्धारण :-

1. बच्चों के टेस्ट के आधार पर 02 ग्रुप का निर्धारण।
2. ग्रुप में कक्षा का निर्धारण।
3. कक्षा के अनुसार पाठ्यकम का निर्धारण।

सामान्य ज्ञान/सामयिक व्यवहार ज्ञान :-

1. अपने परिवार के सभी सदस्यों के नाम, गांव का नाम, विकास खण्ड का नाम, जिला, प्रदेश, आदि का नाम बता पाना।
2. कुछ कविताएं एवं कहानियां सुना पाएगें।
3. बच्चों को सामयिक मान्यताओं एवं व्यवहार का प्रशिक्षण दिया जाएगा।

योगा, पी0टी0, रिक्रेयशन कार्यकलाप :-

1. बच्चों को उपरोक्त का प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा।

द्वितीय माह

ओरिएण्टेशन एंड मोबिलिटी :-

1. छड़ी पकड़ना एवं उसका उपयोग कर स्वतंत्रतापूर्वक भ्रंमण करना।
2. ओरिएण्टेशन मैप को पढ़कर समझ सकना।

दैनिक किया कलाप :-

1. सामान्य खरीदारी निकट के बाजार से करने का अभ्यास।

ब्रेल पढ़ना एवं लिखना :-

1. ब्रेल में सरल शब्द वाले वाक्यों को पढ़ना लिखना।
2. मात्रा वाले शब्दों को पढ़ना लिखना।
3. अंग्रेजी की वर्णमाला को सुनाना।

सहायक उपकरणों का प्रयोग :-

1. ट्रेलरफ्रेम पर 1 से 100 तक गिनती लिखना।
2. +, -, ÷, X के चिन्हों को लिखना।
3. अबेकस पर 1 से 100 तक गिनती लिखना।
4. ट्रेलरफ्रेम पर साधारण सवाल लगाना।
5. 2 से 5 तक पहाड़ा सुनाना।
6. तीन अंकों के जोड़ घटाना।

शैक्षिक पाठ्यकम :- बच्चों की कक्षा के आधार पर ब्रेल पाठ्य पुस्तकों के तीन पाठ, दिन सप्ताह माह वर्ष की अवधारण एवं समय ज्ञान।

सामान्य ज्ञान/ सामयिक व्यवहार ज्ञान :-

1. अपने परिवार के सभी सदस्यों के नाम, गांव का नाम, विकास खण्ड, जिला प्रदेश आदि का नाम बता पाना।

2. कुछ कविताएं एवं कहानियां सुना पाएंगे।
3. बच्चों को सामयिक मान्यताओं एवं व्यवहार का प्रशिक्षण दिया जाएगा।

योगा, पी0टी0, रिक्रेयशन कार्यकलाप :-

1. बच्चों को उपरोक्त का प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा।

तृतीय माह

ओरिएण्टेशन एंड मोबिलिटी :-

1. छड़ी विधि का कुशलता पूर्व प्रयोग करना।
2. सीढ़ी चढ़ने उतरने में छड़ी का प्रयोग करना।
3. सड़क पर छड़ी की सहायता से चलना।
4. नये वातावरण में अपने को समायोजित कर अपने अनुभवों की सहायता से मोबिलिटी कर सकना।

ब्रेल पढ़ना एवं लिखना :-

1. श्रुतिलेख लिखना।
2. संबंधित कक्षा की पाठ्य पुस्तकों का पढ़ना।

सहायक उपकरणों का प्रयोग :-

1. ट्रेलरफ्रेम पर जोड़ घटाना, गुणा भाग करना।
2. अबेकस पर एक अंक का जोड़ घटाना।
3. ज्यामिति किट की सहायता से कोण, त्रिभुज, एवं चतुर्भुज बनाना।
4. शैक्षिकः- संबंधित कक्षा के पाठ्य पुस्तकों के पाठ-5 तक।

सामान्य ज्ञान/ सामयिक व्यवहार ज्ञान :-

1. अपने परिवार के सभी सदस्यों के नाम, गांव का नाम, विकास खण्ड, जिला प्रदेश आदि का नाम बता पाना।
2. कुछ कविताएं एवं कहानियां सुना पाएंगे।
3. बच्चों को सामयिक मान्यताओं एवं व्यवहार का प्रशिक्षण दिया जाएगा।

योगा, पी0टी0, रिक्रेयशन कार्यकलाप :-

1. बच्चों को उपरोक्त का प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा।

श्रवण वाणी विकलांगता : संक्षिप्त ब्रिज पाठ्यकम (अवधि 3 माह)

गतिविधि	प्रथम माह	द्वितीय माह	तृतीय माह
1. वाणी विकास	वाकलाइजेशन,बाबलिग,शब्द स्तर का विकास। स्वर व्यंजन का विकास, अक्षरो का विकास एवं ल प वर्ग के अक्षरों का अभ्यास।	साधारण वाक्य का विकास,संबंधित कक्षा के पाठ में से पांच शब्द लिखना/बोलना कपड़े, सब्जियों को आब्जेक्ट द्वारा कंसेप्ट देना।	वाक्य विकास, पाचं साधारण वाक्य लिखना/बोलना, घर के बर्तन, जानवर, रंग, यातायात के साधन, सार्वजनिक स्थल, प्रमुख महापुरूष व शरीर के अंगों आदि को चित्र/आब्जेक्ट द्वारा कन्सेप्ट देना
2.श्रवण प्रशिक्षण	धवनि के बारे में जागरूकता। ध्वनियों को अलग–अलग करके बताना।	ध्वनियों को अलग–अलग करके बताना, ध्वनियों की पहचान करना।	धवनियों तथा मिश्रित ध्वनियों की पहचान करना।
3. भाषा विकास	वर्णमाला लिखना, अभिव्यक्ति घरेलू सदस्यो/वस्तुओं की पहचान करना। मौखिक सम्प्रेषण– बच्चों के नाम उच्चारण, प्रतिकिया	English alphabets कक्षा के सहपाठियों एवं स्टाफ की नाम से पहचान। अपने जिला, प्रदेश का नाम व राजधानी, देश व उसकी राजधानी के नाम की जानकारी	मात्राओं का ज्ञान, सरल वाक्य लिखना, एवं प्रयोग। विभिन्न प्रत्यक्ष क्रिया से कमवार स्टेप्स द्वारा भाषायी ज्ञान में वृद्धि करना, समाचार के माध्यम से जानकारी देना। बेसिक रंगो की पहचान कराना।
4. गणित	1–50 तक अंक लिखना 1–10 तक अंक शब्दों में लिखना।	51–100 तक अंक लिखना सिक्कों/ रूपयों की पहचान कराना, एक अंक का जोड़ घटाना करना।	10–20 तक अंक शब्दों में लिखना, 2 अंकों तक जोड़ घटाना सिखाना, गुणा तथा भाग करना।
5. मैचिंग	चित्र से चित्र मिलाना तथा शब्द से चित्र मिलाना।	चित्र से नम्बर मिलाना, चित्र के नाम लिखना।	माडल से चित्र मिलाना, नाम लिखना, चित्र से कहानी लिखना, इम्प्रेशन टुकड़ों से पूर्ण मॉडल तैयार करना।
6. स्पोर्टस व सांस्कृतिक गतिविधिया	कुर्सी दोड़, लौंग जैम्प, हाई जैम्प, फुटबाल, किकेट, पी.टी., ड्राइंग आदि	कुर्सी दोड़, लौंग जैम्प, हाई जैम्प, फुटबाल, किकेट, पी.टी., ड्राइंग आदि	कुर्सी दोड़, लौंग जैम्प, हाई जैम्प फुटबाल, किकेट, ड्राइंग आदि